

जयपुर, दिनांक: 24/12/2017

क्रमांक: प.15(1)प्राशि/2017

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

विषय :- ग्राम पंचायत सहायकों के चयन से शेष रही ग्राम पंचायतों में चयन हेतु निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.09.2017 द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों के चयन से शेष रही ग्राम पंचायतों में चयन हेतु कलैण्डर जारी किया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12342/2017 जुगता राम बनाम राजस्थान व अन्य तथा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.10.2017 की पालना करने हेतु इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.10.2017 द्वारा लिखा गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15837/2017 मनी लाल पाण्डोर बनाम राज. राज्य व अन्य तथा अन्य विभिन्न याचिकाओं, जिसमें उक्त याचिका संख्या 12342/2017 भी सम्मिलित है, में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2017 (प्रति संलग्न) को पारित आदेश में इस विभाग द्वारा दिनांक 15.09.2017 को जारी कलैण्डर अनुसार की जा रही प्रक्रिया/कार्यवाही को सही व उचित माना है। अतः निम्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत सहायक की चयन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है।

(अ) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एसबी सिविल रिट संख्या 12299/2017 सुभाष चन्द्र बनाम राज. राज्य व अन्य व विभिन्न याचिकाओं में दिनांक 27.11.2017 (प्रति संलग्न) को पारित निर्णयानुसार याचीगण (हटाये गये ग्राम पंचायत सहायकों) को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सुना जाकर, पारित किये जाने वाले आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ब) अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से हुई चर्चानुसार पंचायती राज विभाग द्वारा डूंगरपुर, जालौर एवं जैसलमेर जिलों से चूरु जिले को हस्तान्तरित 179 ग्राम पंचायत सहायकों की संख्या के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाएं अभी विचाराधीन है। अतः चूरु जिले में हस्तान्तरित 179 ग्राम पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया को माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार ही पूर्ण किया जायेगा।

अतः चयन से शेष रही ग्राम पंचायतों में एसबी सिविल रिट संख्या 12299/2017 सुभाष चन्द्र बनाम राज. राज्य व अन्य व विभिन्न याचिकाओं के याचीगणों से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में याचीगण की संख्यानुसार पदों एवं चूरु जिले में हस्तान्तरित 179 पदों की चयन प्रक्रिया को शेष रखते हुए दिनांक 15.9.2017 को जारी कलेण्डर अनुसार नवीन तिथियां निर्धारित कर अपूर्ण रही ग्राम पंचायत सहायक के चयन की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।
संलग्न- उपरोक्तानुसार

31/09/17
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. जिला कलक्टर - समस्त।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
12. उप निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
13. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
14. विकास अधिकारी - समस्त।
15. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी - समस्त।
16. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी-समस्त।
17. रक्षित पत्रावली।

31/09/17
शासन उप सचिव

www.rajteachers.com